न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 2/21 तारीख रजू 05.01.2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाडा (लैण्ड होल्डर) – प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति कंचन देवी पत्नि स्व. राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
2. मोहनलाल पुत्र राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
3. रमेश चन्द पुत्र राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
4. महावीर प्रसाद पुत्र राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
5. सम्पत कुमार पुत्र राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
6. कमला देवी पुत्र राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
7. दुर्गा देवी पुत्र राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
8. सुशीला देवी पुत्र राधेश्याम ब्राहमण निवासी सोलपुर
9. चन्द्रमोहन पुत्र भोलू माली निवासी सोलपुर
10. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन माली निवासी सोलपुर
11. तीजा पत्नि स्व0 रामरतन माली निवासी सोलपुर
12. मीरा पुत्री रामरतन माली निवासी सोलपुर
13. घासीलाल पुत्र जयनारायण माली निवासी सोलपुर
14. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा ईसरदा
15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवाड़
16. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शिवाड़, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारसोप

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 आर.एल.आर.एक्ट, 1956

:: निर्णय :: दिनांक: 9/5/2024

तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने यह प्रकरण पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ईसरदा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2022–2025 की आराजी खाता संख्या 551 खसरा नंबर 1152, 1161, 1162, 1177, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1234, 1349 कुल किता 13 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके विराजमान ईसरदा पुजारी केसरा पुत्र गंगाधर ब्राहमण के नाम अंकित थी, उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना नामान्तरकरण खोले ही जमाबन्दी ग्राम ईसरदा सम्वत् 2026–2029 खाता संख्या 106 रकवा 28 बीघा 14 बिस्वा का अंकन माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम से हटाया जाकर राजस्व अभिलेख में केसरा पुत्र गंगाधर ब्राहमण के नाम कर दी गयी। जो विधि विपरित हैं। उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 698 दिनांक 30.07.1972 द्वारा उक्त आराजी का अंकन केसरलाल के बजाय चन्द्रप्रकाश पुत्र केशर लाल ब्राहमण के दर्ज हुई तथा नामान्तरकरण

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 दिनांक 12.02.1987 से बापिस केसरलाल पुत्र गंगाधर ब्राहमण के नाम दर्ज हुई। खसरा नं0 1152, 1162, 1177, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1234, 1349 का नवीन खसरा नं0 मिलान क्षेत्रफल नकल के अनुसार 378, 22, 400, 453, 451, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 885, 886, 893, 895, 887 अंकित हो गये। ख0नं0 1152, 1162, 1177 जरिये वसीयतनामा खातेदार के वारिसान का नामान्तरकरण संख्या 34 तथा विरासत नामा0 संख्या 190 से विपक्षीगण के नाम ग्राम सोलपुर जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में अंकित हो गया। शेष उक्त आराजी का विकय होकर नामा0 सं0 5, 6 व 8 तथा विरासत हकत्याग व रहन नामा0 सं0 26, 181, 208, 8, 9, 194, 218, 219, 223, 256, 272 से विपक्षी गणों के नाम एवं बैंक रहन जमाबन्दी संवत 2073–76 में अंकित हो गया। नवीन भू.प्रबन्ध से बनी जमाबन्दी ग्राम सोलपुर संवत 2073–76 के खाता संख्या 6,37, 105, 106 पर आराजी खसरा नंबरान 378, 22, 400, 453, 451, 454, 456, 457, 458, 885, 886, 893, 895, 887 पर दर्ज खातेदारान व रहिन बैंक को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थना पत्र में जीवित पक्षकार व उसके वारिसान को ही पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त विवरण से वर्तमान रिकार्ड से माफी मंदिर ठाकुर जी के नाम हटाकर खातोदारान के नाम अंकित कर दिया गया है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या एफ/जी/ग/रा0/क–168 दिनांक 12.06.1969 एवं 8757–82 दिनांक 18.10.1979 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिन मंदिर व धार्मिक स्थानों की भूमियों को अवैध हस्तान्तरण मूर्तियों के स्थान पर पुजारियों/सेवारतों या अन्य के नाम कर दिया है तो उन समस्त मामलों में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के खातेदारान एवं उसके पश्चात वसीयत, विरासत, रहन व विक्रय के नामांतरकरण द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित नामों के इन्द्राजात को निरस्त करवाकर भूमि मूर्तियों के नाम जमाबंदी में अंकन करवाने का आदेश प्रदान करें।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अभिभाषक उपस्थित होने पर वकील अभय पक्ष बहस सुनी गई।

विद्वान पेरोकार राज. तथा विद्वान वकील अप्रार्थीगण को सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। तदुपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुताबिक खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2022– 2025 में उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके देह वाके विराजमान ईसरदा पुजारी केसरा पुत्र गंगाधर ब्राहमण के नाम अंकित थी। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के लागू होने पर यह भूमि जागीरदार या माफीदार की खुदकाश्त में रही थी और जो कृषक भूमि को जोतता था तथा यदि उसे आनुवांशिक और हस्तान्तरण के अधिकार थे, तो जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात् भूमि का खातेदार भूमि जोतने वाला कृषक हो गया। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थीगण को उत्तराधिकारी एवं हस्तान्तरण के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे और न ही किसी सक्षम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर माफी मन्दिर मूर्ति के नाम अंकित भूमि को अप्रार्थीगण के नाम अन्तरित कर अभिलिखित कर दिया जावे। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में भूमि माफी मन्दिर के नाम थी तथा केसरा पुत्र गंगाधर

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

ब्राहमण मन्दिर की भूमि का पुजारी था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 में यह स्पष्ट सुव्यवस्थित सिद्धान्त तय किया गया है कि माफी/मूर्ति शाश्वत् नाबालिग होने के कारण उसके नाम दर्ज भूमि किसी भी व्यक्ति/संस्था के नाम न तो खातेदारी बतौर हस्तान्तरित हो सकती है और न ही किसी उप कृषक को खातेदार अधिकार हासिल हो सकते है। मन्दिर की भूमियों में यदि कृषक को पूर्ण हस्तान्तरणीय एवं आनुवांशिक अधिकार प्राप्त नहीं थे तो वह जमीन मन्दिर की खुदकाश्त भूमि मानी जायेगी और ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य को सिद्ध करने बाबत भी ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि अप्रार्थीगण को पूर्ण रूप से कोई आनुवांशिक एवम् हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे या किसी सक्षम न्यायालय के माध्यम से ऐसे अधिकार प्राप्त किये है। चूंकि, केसरा पुत्र गंगाधर ब्राहमण का नाम बिना नामान्तरकरण खोले ही अभिलेख में पुजारी/काश्तकार दर्ज होने के कारण उसका नाम बहैसियत खातेदार अवैध रूप से दर्ज हो गया है, जो माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त निर्णय तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 46 के अनुरूप न होने से निरस्तनीय है।

अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 में किये गये इन्द्राजात व तत्पश्चात् अप्रार्थी उसके वारिसान एवं अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित की गयी समस्त जमाबन्दी/नामान्तरकरण की प्रविष्टियों को निरस्त किया जाकर पुनः अंकन माफी मन्दिर मूर्ति के नाम किये जाने की राय के साथ प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9/5/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner